Rajasthan High Court, Jodhpur

Direct Recruitment in the cadre of District Judge Competitive Examination

Date: 06.05.2012

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर जिला न्यायाधीश केंडर में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा दिनांक : 06.05.2012

Paper II - Law- II प्रश्न पत्र II - विधि -II

Time: Three hours समय: तीन घण्टे Maximum Marks: 100

पूर्णांक : 100

INSTRUCTIONS

- Write the required particulars only on the flap provided on the top of each answer book; and at no other place.
- If the candidate makes any identification mark at any place in the answer book, it would be treated as using unfair means; and his candidature shall be rejected for the entire examination.
- A candidate found creating disturbance at the examination centre or misbehaving with Invigilating Staff or cheating will render himself liable to disqualification.
- The question paper is divided into two parts Part A and B. All the questions are to be answered.
- 5. There are 20 objective type questions in part "A" of the question paper, each having four alternative responses. Candidate is only to indicate clearly the mark of the correct response, viz, (A) or (B) or (C) or (D) on the first page of the answer book provided specifically for the purpose; and at no other place. Only one response is to be indicated for each question. Marking of more than one response would be treated as wrong answer.
- Attempt answers in Hindi or in English.
- In the question paper, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as correct.
- निर्देश

 1. अपेक्षित विवरण केवल उत्तर पुस्तिका के ऊपर दिये गये फ्लेप पर ही लिखें; अन्य
 किसी स्थान पर नहीं ।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अन्दर किसी भी स्थान पर कोई भी पहचान चिन्ह अंकित किया जाता है तो यह अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा; तथा अभ्यर्थी की सम्पूर्ण परीक्षा में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी ।
- यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर व्यवधान उत्पन्न करता है या वीक्षण स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है अथवा वंचनापूर्ण कार्य करता है तो वह स्वयं ही अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
- 4. प्रश्न पत्र "अ" और "ब" दो भागों में विभाजित है । सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है ।
- 5. प्रश्न पत्र के भाग "अ" में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं । अभ्यर्थी को सही उत्तर यथा, (अ) अथवा (ब) अथवा (स) अथवा (द) उत्तर पुस्तिका में विशिष्ठ तौर पर दिये गये प्रथम पृष्ठ पर ही स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने चाहिये; अन्य किसी स्थान पर नहीं । प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया जाना है । एक से अधिक उत्तर दिये जाने की दशा में उत्तर गलत माना जायेगा ।
- उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में दीजिये।
- प्रश्न पत्र में अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम में कोई अन्तर हो तो अंग्रेजी माध्यम को सही माना जाये।

Part-A - भाग अ Objective – वस्त्निष्ठ

Note: - Each question carries 1 mark (Total marks for this part are 20) टिप्पणी:- प्रत्येक प्रश्न हेत् 1 अंक निर्धारित है (इस भाग हेत् कुलअंक 20 है)

- Who, according to Section 21 of Indian Penal Code, 1860, is not a public 1. servant:-
- (A) A commissioned officer in Indian Army, Navy, and Air Force
- An arbitrator to whom any cause has been referred for adjudication by any (B) court of justice
- (C) An officer, who, by virtue of his office, is empowered to place or keep any person in confinement
- An advocate, who practices law in a court of justice (D)
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन 1. लोक सेवक नहीं है :-
- भारतीय थल, जल एवं वायु सेवा में कमीशन प्राप्त अधिकारी, (3)
- एक मध्यस्य, जिसको किंसी न्यायालय द्वारा कोई विवाद विनिश्चय हेत् (ৰ) निर्दिष्ट किया गया हो,
- जो व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण करता हो, िजसके आधार पर वह **(स)** किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो,
- एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता हो, (द)
- 2. Which of the following is not an exception as per provisions contained in Chapter IV of Indian Penal Code, 1860,:-
- (A) Act of a child under age of 7 years
- (B) An act done pursuant to judgment or order of a court of justice
- (C) An act by the security guard of a Judge that otherwise constitutes an offence
- (D) An act of a person of unsound mind
- निम्न में से क्या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 4 में दिये 2. गये साधारण अपवाद की श्रेणी में नहीं आता है:-
- (31)
- 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई कृत्य, किसी न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के अनुसरण में किया गया (ৰ) कत्य,
- किसी न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड द्वारा किया गया कोई कृत्य जो अन्यथा **(स)** अपराध की श्रेणी में ऑता है,
- विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य, (द)
- 3. In which of following circumstances does the right of private defence of body, subject to restrictions mentioned in Section 99 of Indian Penal Code, 1860, extends to voluntary causing death:-
- An assault with intention of gratifying unnatural lust (A)
- (B) An assault which does not cause reasonable apprehension of death or of grievous hurt
- (C) An assault with intention of committing rape
- An assault with intention to kidnapping or abducting (D)
- निम्न में से किन परिस्थितियों में शरीर के निजी प्रतिरक्षा के अधिकार 3. का विस्तार भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुये मृत्यु कारित करने तक है:-
- (H)
- प्रकृति- विरुद्ध काम तृष्णों की तृति के आशय से किया गया हमला, ऐसा हमला जो युक्तियुक्त रूप से मृत्यु अथवा गम्भीर उपहति की आशंका (ब) उत्पन्न न करता हो,
- **(**स) बलात्संग के आशय से किया गया हमला,
- (द) व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला,

An unlawful assembly constituted in the meaning of Section 141 of Indian 4. Penal Code, 1860 is comprising of:-

(B) Five and more persons Two and more persons

None of above Three and more persons (D) (C) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 141 के अनुसार विधि विरूद 4. जमाव गठित होता है:-

पांच एवं अधिक व्यक्तियों से दो एवं अधिक व्यक्तियों से **(ब)** (H)

उक्त में से कोई नहीं तीन एवं अधिक व्यक्तियों से (द)

A threatens Z that he will keep Z's son in wrongful confinement unless Z will sign and deliver to A a promissory note binding Z to pay certain money to A, Z signs and delivers the note to A. What offence is committed by A:-

Dishonest misappropriation of property (A)

(B) Robbery Extortion (C)

Criminal breach of trust (D)

क, य को यह धमकी देता है कि यदि वह क को कुछ धन देने के 5. सम्बन्ध में अपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षर करके क को परिदत्त नहीं कर देता, तो वह य के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। य वचन पत्र हस्ताक्षर करके परिदत्त कर देता है। क द्वारा कौनसा अपराध कारित किया गया:-

बेईमानी से सम्पति का दुर्विनियोग (H)

(ब) लुट उद्धापन **(**स)

आपराधिक न्यास भंग (द)

Who cannot claim maintenance under Section 125 of Criminal Procedure 6. Code, 1973 from a person having sufficient means, who neglects or refuses to maintain him/her:-

Father and mother unable to maintain themselves (A)

Illegitimate minor child unable to maintain himself (B)

Wife unable to maintain herself (C)

Brother unable to maintain himself (D) निम्न में से कौन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के 6. अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति से, जो पर्याप्त साधनों के होते हये भी भरण पोषण करने में उपेक्षा अथवा इन्कार करता हो, से भरण पोषण की राशि

की मांग नहीं कर सकता है:-

पिता व माता, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। (3r)

अधर्मज अवयस्क सन्तान, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। (ब)

पत्नी, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। **(स)** भाई, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। **(द)**

A complaint becomes a First Information Report:-7.

When the same is presented before a court for registration (A)

When it is sent to police for investigation under Section 156(3) of (B) Criminal Procedure Code, 1973

When statement of complainant is recorded by the court under Section 200 (C)

of Criminal Procedure Code, 1973

- When statements of witnesses produced by complainant are recorded (D) under Section 202 of Criminal Procedure Code, 1973
- एक परिवाद कब प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवर्तित हो जाता है:-7.

जब उसे पंजीबद्ध किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। जब उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के अन्तर्गत अन्वेषण हेतु पुलिस को प्रेषित किया जावे। (H) (**a**)

जब दण्ड प्रोक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के अन्तर्गत न्यायालय **(**स)

द्वारा परिवादी के बयान लिये जावे।

जब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 202 के अन्तर्गत न्यायालय (द) द्वारा पदिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान के बयान लिये जावे।

Which of the following courts can transfer a criminal case, pending in a 8. court of one district, to a court of another district:-

Court of Sessions of the district where such case is pending

Court of Sessions of the district where such case is sought to be (A) (B) transferred

High Court of the State (C)

None of the above

कौनसा न्यायालय किसी एक जिले में स्थित न्यायालय में लिम्बत आपराधिक प्रकरण को दुसरे जिले में स्थित अन्य न्यायालय को (D) 8. स्थानान्तरित कर सकता है: -

जिले का सत्र न्यायालय, जहां कि वह प्रकरण लम्बित है।

उस जिले का सत्र न्यायालय, जहां कि उसे स्थानान्तरित किया जाना है। (3F) (ৰ)

सम्बंधित राज्य का उच्च न्यायालय। **(स)**

उक्त में से कोई नहीं। (द)

According to provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, whoever contravenes any provision of said Act or 9. any Rule framed or Order issued or any condition of license granted thereunder, involving small quantity of contraband, how much sentence for such an offence, can be awarded to him on his conviction:-

Rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years and a (A)

fine which may extend to one lac rupees

Rigorous imprisonment for a term which may extend to six months and a **(B)** fine which may extend to ten thousand rupees or with both

Rigorous imprisonment for a term not less than ten years which may extend to twenty years and shall also be liable to pay fine, which shall not (C) be less than one lac rupees, which may extend to two lac rupees

None of the above प्रभावी पदार्थ अधिनियम, (D) 1985 स्वापक औषधि एवं मनः सन्निहित विधि प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, 9. अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम अथवा जारी किये गये आदेश अथवा उसके अन्तर्गत दिये गये अनुजा पत्रों की शर्तों का प्रतिबंधित द्रव्य की लघु मात्रा के सन्दर्भ में उल्लंघन करता है, उसे दोषसिद्ध किये जाने पर निम्न में से कौनसा दण्ड प्रदान किया जा

दस वर्ष तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये तक **(31)**

का जुर्माना। छ: माह तक की अवधि के लिए सन्नम कारावास एवं दस हजार रूपये (ৰ) तक का जुर्माना अथवा दोनों।

दस वर्ष से अन्यून सम्भम कारावास जिसे बीस वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है एवं एक लाख रूपये का न्यूनतम जुर्माना, (स) जिसे दो लाख रूपये तक बढ़ाया जा सके।

उक्त में से कोई नहीं। **(द)**

According to Notification issued by the Central Government under Section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Act, 1985, what is small 10. and commercial quantity of opium:-

25 grams and 2.5 kilograms respectively (A)

1 kilogram and 25 kilograms respectively (B) 50 gram and 5 kilograms respectively

(C) 100 gram and 10 kilograms respectively

केन्द्र सरकार द्वारा स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, (D) 1985 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार निम्न में से 10. कितनी अफीम की लघु एवं वाणिज्यिक मात्रा है :-

25 ग्राम एवं 2.5 किलोग्राम क्रमश: **(3F)**

1 किलोग्राम एवं 25 किलोग्राम कमश: (ब)

50 ग्राम एवं 5 किलोग्राम **(स)**

क्रमश: 100 ग्राम एवं 10 किलोग्राम (द)

- Can a person belonging to schedule caste, be convicted for committing 11. any of offences enumerated in Section 3 of the Schedule Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act of 1989, if victim thereof happens to be a member of schedule tribe:-
- (B) No (A)

None of the above is correct (D) (C) May be

अन्सूचित जनजाती (अत्याचार अनुसूचित जाती एव 11. अधिनियम, 1989 की धारा 3 में वर्णित अपराध कारित करने हेतु क्या अनुसूचित जाति से संबद्ध किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया जा सकता है, यर्दि पीडित व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो?

हा (ब) नहीं (H) उक्त में से कोई सही नहीं (द) सम्भवत: **(स)**

What sentence can be awarded to a convict for offence under Section 138 12. of the Negotiable Instruments Act, 1881:-

Imprisonment for a term, which may extend to three years or fine upto one (A) lac rupees or with both

Imprisonment for a term, which may extend to two years or fine, which (B) may extend to twice the amount of Cheque or with both

Imprisonment for a term, which may extend to six months and fine equal (C) to the amount of Cheque or with both

Imprisonment for a term, which may extend to one year and with fine, (D) which may extend to double the amount of Cheque or with both

लिखित पराक्रम्य अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत 12. दोषसिद्ध व्यक्ति को निम्न में से कौनसा दण्डादेश प्रदान किया जा सकता है:-

तीन वर्ष तक की अवधि का कारावास अथवा एक लाख रूपये तक जुर्माना (H) अथवा दोनो।

दो वर्ष तक की अवधि का कारावास अथवा जुर्माना अथवा चैक की दुगनी (ब) राशि तक का जुर्माना अथवा दोनीं।

छ: माह तक की अवधि तक कारावास एवं चैक की राशि के बराबर का **(स)** जुर्माना अथवा दोनों।

- एक वर्ष तक की अवधि तक कारावास एवं चैक की द्वानी राशि तक का (द) जुर्माना अथवा दोनों।
- Whether a juvenile in conflict with law can be tried with another person, 13. who is not a juvenile if both have together committed the same offence?
- (A) Yes
- No (B)
- May be (C)

Yes, with permission of the High Court (D)

- क्या किसी बाल अपचारी का विचारण किसी अन्य व्यक्ति जो कि बाल 13. अपचारी नहीं है, के साथ ऐसी परिस्थिति में किया जा सकता है जबकि दोनों ने साथ मिल कर समान अपराध कारित किया हो ?
- हा (H)
- नहीं (ब)
- सम्भवत: (**स**)
- हां, परन्तु उच्च न्यायालय की अनुमति से। **(द)**
- The upper age limit upto which a child having committed offence is 14. considered to be a juvenile is:-
- (A) 16 years

18 years (B)

None of the above (D) 15 years (C)

किसी बालक जिसने अपराध कारित किया हो, को बाल अपचारी माने 14. जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा है :-

16 वर्ष (3f)

(ब) 18 av

उक्त में से कोई नहीं। **(द)** 15 वर्ष (स)

- 15. Whoever with intent to threaten unity, integrity, security or sovereignty of India or to strike terror in any section of the people commits offence of cyber terrorism punishable under Section 66-F of the Information Technology Act, 2000, shall be sentenced to:-
- (A) Imprisonment for a term which may extend to ten years
- (B) Imprisonment for a term which may extend to seven years

(C) Imprisonment for life

(D) Death sentence

- 15. जो भी भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा एवं सम्प्रभुता को खतरा उत्पन्न करने के आशय से अथवा समाज के किसी वर्ग को आतंकित करने के आशय से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 एफ के अन्तर्गत दण्डनीय साईबर आतंक का अपराध कारित करता है, वह निम्न दण्ड का भागी होगा:-
- (अ) दस वर्ष तक की अवधि का कारावास।
- (ब) सात वर्ष तक की अवधि का कारावास।
- (स) आजीवन कारावास।
- (द) मृत्युदण्ड।

 Which of following statements of law, according to provisions of Electricity Act, 2003, is correct:-

(A) No court shall take cognizance of an offence punishable under the said Act except upon a complaint in writing made by appropriate government or appropriate commission

(B) Notwithstanding anything contained in Criminal Procedure Code, 1973, the appropriate government or any officer authorized by it may accept a sum of money by way of compounding the offence in the said Act

(C) Whoever abates an offence punishable under the said Act, shall, notwithstanding anything contained in the IPC, be punished with the imprisonment provided therein for such offence

(D) All the above statements are true

 वियुत अधिनियम, 2003 के अनुसार निम्न में से कौनसा विधि सम्बन्धी वक्तव्य सही है:-

(अ) कोई भी न्यायालय उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान सक्षम सरकार अथवा सक्षम कमीशन द्वारा लिखित में प्रस्तुत परिवाद के अन्यथा नहीं लेगा।

(ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, में अन्यथा विनिर्दिष्ट होते हुये भी, सक्षम सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, उक्त अधिनियम के किसी अपराध के शमन के उद्धेश्य हेत कोई राशि प्राप्त कर सकेंगे।

अपराध के शमन के उद्धेश्य हेतु कोई राशि प्राप्त कर सकेंगे।

(स) कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम में दिये गये अपराध की दुष्प्रेरणा करता है

तो दण्ड प्रक्रिया संहिता में अन्यथा विनिर्दिष्ट होते हुए भी वह ऐसे अपराध
के लिए उसमें निर्धारित दण्ड का भागी होगा।

(द) उक्त सभी वक्तव्य सही है।

- 17. According to Section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988, the offences under the provisions of the said Act, are triable by:
- (A) Court of Sessions
- (B) Court of Special Judge
- (C) Court of Chief Judicial Magistrate
- (D) Court of Additional Sessions Judge
- 17. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 4 के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का विचारण होगा:-
- (अ) सत्र न्यायालय द्वारा
- (ब) विशिष्ठ न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा
- (स) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा
- (द) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा

Investigation into an offence under Prevention of Corruption Act, 1988 18. committed by members of All India Services shall be supervised by:-

Director General of Police, Anti Corruption Bureau (A)

Central Vigilance Commissioner (B)

Inspector General of Police, Anti Corruption Bureau (C)

Investigating Officer concerned (D)

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 18. 1988 के अन्तर्गत किये गये अपराधों के अन्वेषण की निगरानी की जायेगी:-

पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा (H)

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा (ৰ)

पुलिस महानिरीक्षक, अष्टाचार निरोधक ब्यूरो दारा **(स)**

सम्बंधित अन्वेषण अधिकारी द्वारा **(द)**

What is the object of cross-examination of a witness? 19.

to destroy or weaken the evidentiary value of the witness of adversary (A)

to elicit facts in favour of cross-examining lawyer's client from the mouth (B) of witness of adversary party

to show that witness is untrustworthy by impeaching his credibility

All the above are correct

किसी साक्षी के प्रति-परीक्षण का क्या उद्वेश्य है? 19. प्रतिपक्षी के गवाह की साक्ष्य के महत्व को समाप्त अथवा कमजोर

प्रतिपक्षी के गवाह के मुख से प्रतिपरीक्षण करने वाले अधिवक्ता के (ৰ) मुविकल के पक्ष की बात निकलवाना।

- किसी गवाह की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाकर यह दर्शाना कि वह **(**स) भरोसे के लायक नहीं है।
- उपरोक्त सभी सही है। (द)
- A informs B that he had heard from X that Z has committed murder of C 20. few days ago. Evidence of B when examined as a witness in court, would be considered as:-
- Direct evidence (A)

Hearsay evidence (B)

Circumstantial evidence (C)

Expert evidence (D)

अ, ब को यह सूचना देता है कि उसने ध से सुना है कि य ने स की कुछ समय पूर्व हत्या कर दी। ब को साक्षी के रूप में न्यायालय में 20. परीक्षण किये जाने पर ब की साक्ष्य को क्या माना जायेगा:-

चक्षुदर्शी साक्ष्य । (H) स्नी-स्नाई साक्ष्य। (ৰ)

पौरस्थितिजन्य साक्ष्य। (स)

विशेषज्ञ साक्ष्य। (द)

PART-B भाग-ब SUBJECTIVE/NARRATIVE विषयनिष्ठ/वर्णनात्मक

Note:- Questions No.1 to 10 carry 6 marks each and Questions No.11 and 12 carry 10 marks each (total marks for this part are 80) टिप्पणी:- प्रश्न सं.1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक तथा प्रश्न सं.11 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। (इस भाग हेतु कुलअंक 80 है)

What is the right of private defence of person and property, and what are the limitations within which such right can be exercised?

- शरीर एवं सम्पति की प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है तथा उस अधिकार का प्र.1 प्रयोग किन सीमाओं में रहते ह्ये किया जा सकता है ?
- Write a short note on the significance of cruelty or harassment to woman Q.2 "soon before her death" and the fact that death has taken place "within seven years of her marriage". Discuss in the context of Section 304-B of the Indian Penal Code, 1860 and Section 113-B of the Indian Evidence Act, 1872. 6 marks
- किसी महिला की "मृत्यु से ठीक पूर्व" उसके साथ की गई कुरता अथवा अत्याचार एवं यह तथ्य कि उसकी मृत्यु "विवाह के 7 वर्ष के भीतर" होने के महत्व को समझाते हुये एक लघु टिप्पणी लिखे। भारतीय दण्ड संहिता ਸ਼.2 1860 की धारा 304-खें एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख के सन्दर्भ में विवेचन करें। 6 अंक
- What is the distinction between offence of 'attempt to commit murder' under Q.3 Section 307 of the Indian Penal Code, 1860, and 'attempt to commit culpable homicide' under Section 308 of the Indian Penal Code, 1860?

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 307 के अन्तर्गत "हत्या करने के ਯ.3 प्रयत्न" एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 के अन्तर्गत "आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न" में क्या विभेद है? 6 अक

Write a short note on the law relating to 'public nuisance' under Section 268 Q.4 of Indian Penal Code, 1860, and Section 133 of Criminal Procedure Code, 1973 6 marks

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 268 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 प्र.4 की धारा 133 में दिये गये लोक न्यूसेंस सम्बंधी विधि के बारे में एक लघ् टिप्पणी लिखें। 6. 34布

What is Test Identification Parade of accused and its evidentiary value? Q.5 Discuss with reference to relevant provisions of Criminal Procedure Code, 1973, and Indian Evidence Act, 1872.

अभियुक्त की शिनाख्तगी परेड तथा इसका साक्षिक महत्व क्या है? दण्ड प्र.5 प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इस बारे में दिये गये सम्बंधित प्रावधानों के सन्दर्भ में विवेचना करें।

What are the objects of setting up observation home, special home, children's Q.6 home and shelter home under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000? 6 Marks

किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत ਯ.6 स्थापित देखरेख गृह, विशिष्ठ गृह, बालक गृह, शरण गृह के स्थापित किये जाने के क्या उद्देश्य हैं? 6 अंक

What are the objects of the Probation of Offenders Act, 1958 and the duties Q.7 of the Probation Officer thereunder? 6 marks

अपराधी परीविक्षा अधिनियम, 1958 के क्या उद्वेश्य हैं तथा उसके ਸ਼.7 अन्तर्गत परीविक्षा अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं?

6 अंक

Q.8 Answer any two of the following:-

(A) Whether an accused can be convicted for offence under Section 201 of the Indian Penal Code, 1860 alone without there being his conviction or conviction of any co-accused for any substantive offence? If yes, what punishment can be awarded for such offence?

3 marks

(B) What is the significance of 'motive' in a criminal case?

3 marks

(C) What is the distinction between offences of 'giving false statement on oath to a public servant' and 'giving false evidence on oath'?

3 marks

प्र.8 निम्न में से किसी दो का उत्तर दे:-

(अ) क्या किसी अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 201 में दिये गये अपराध मात्र के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है जबिक उसको अथवा किसी सह-अभियुक्त को किसी मुख्य अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हो? यदि हां तो उस अपराध हेतु क्या दण्ड दिया जा सकेगा?

3 3 i क

(ब) किसी आपराधिक प्रकरण में "हेतुक" का क्या महत्व है?

3 3 i क

(स) "किसी लोक सेवक के सम्मुख शपथ पर मिथ्या कथन करने" एवं "शपथ पर मिथ्या साक्ष्य देने "के अपराधों में विभेद कीजिए।

3 3 i क

Q.9 Answer any one of the following:-

(A) What precaution an Investigating Officer is required to take while making entry into a building, search, seizure and arrest as per the requirement of Section 42 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985?

6 marks

(B) What conditions of law an Investigating Officer should abide by while making search of a person, as per requirement of Section 50 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985?

6 marks

प्र.9 निम्न में से किसी एक का उत्तर दे :-

(अ) स्वापक औषि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 42 के अनुसार अन्वेषण अधिकारी को किसी भवन में प्रविष्ठ होने, तलाशी लेने, कोई जब्ती अथवा गिरफ्तारी करने से पूर्व क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

(व) स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 के अनुसार अन्वेषण अधिकारी को किसी व्यक्ति की तलाशी लेते समय विधिनुसार कौनसी शर्तों की पालना करनी चाहिए?

6 अंक

Q.10 Distinguish any two of the following:-

(A) Dishonest misappropriation of property and criminal breach of trust

(B) Robbery and dacoity

(C) Wrongful restraint and wrongful confinement

(D) Kidnapping and abduction

6 marks

प्र.10 निम्न में से किसी दो में विभेद कीजिए:-

(अ) सम्पति का बेईमानी से दुर्विनियोजन एवं आपराधिक न्यास भंग

(ब) लूट एवं डकैती

(स) संदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध

(द) व्यपहरण एवं अपहरण

6 अंक

Q.11 Write a note in about 300 words regarding involuntary subjection of a person to narco-analysis test, polygraph test and brain mapping with special reference to judgment of the Supreme Court in Smt. Selvi Vs. State of Karnataka – AIR 2010 SC 1974

OR

Write a note in about 300 words on the scope of inherent powers of the High Court under Section 482 of the Criminal Procedure Code, 1973 with special reference of the judgment of the Supreme Court in State of Haryana Vs. Bhajan Lal – AIR 1992 SC 604

10 marks

प्र.11 किसी व्यक्ति को उसकी बिना इच्छा के नारको एनेलेसिस टेस्ट पोलीग्राफ टेस्ट एवं ब्रेन मेपिंग किये जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती सेलवी बनाम कर्नाटक सरकार- ए.आई.आर. 2010 सुप्रीम कोर्ट 1974 में दिये गये निर्णय का विशेष सन्दर्भ लेते हुये लगभग 300 शब्दों में टिप्पणी लिखिए।

अथवा

- भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में दिये गये उच्च न्यायालय को अंतर्निहित अधिकार के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल ए.आई.आर.1992 सुप्रीम कोर्ट 604 में दिये गये निर्णय का विशेष सन्दर्भ लेते हुये लगभग 300 शब्दों में टिप्पणी लिखिए।
 - 10 3 事
- Kanhaiya Lal enters into an agreement with Mohan Lal to sell his residential Q.12 plot measuring 300 square yards for consideration of Rs.5,00,000/- and receives a sum of Rs.50,000/- in advance as token money. Subsequently when land prices escalate, Kanhaiya Lal executes another agreement to sell the said plot in favour of Govind Narain for a consideration of Rs.10,00,000/-, to which Narottam and Vinod Kumar sign as witnesses, and Kanhaiya Lal receives a sum of Rs.1,00,000/- in advance. He does not disclose the fact about earlier agreement executed by him in favour of Mohan Lal. Coming to know about this, Mohan Lal files a suit for specific performance against Kanhaiya Lal and obtains an injunction order from the court whereby he (Kanhaiya Lal) is restrained from executing sale-deed in favour of Govind Narain. At this stage, Govind Narain lodges a first information report against Kanhaiya Lal. Police, after investigation, files charge-sheet against Kanhaiya Lal whereupon the court frames necessary charges and proceed with trial on denial of the charges by Kanhaiya Lal. The prosecution examines Govind Narain, Narottam, Vinod Kumar and the Investigating Officer in support of its case. The accused is afforded opportunity by the court to explain the circumstances appearing against him in prosecution evidence. Final order is passed by the court. Write a judgment briefly discussing as to for what offence Kanhaiya Lal is charged and ultimately what order is passed, either of acquittal or of conviction, giving reasons therefor.

10 marks

कन्हैयालाल 300 वर्गगज के अपने आवासीय भूखण्ड को 5,00,000/-रूपये की एवज में बेचान के लिए मोहन लाल से इकरार करता है तथा उसकी एवज में 50,000/- रूपये की राशि अग्रिम प्राप्त करता है। उसके पश्चात जब जमीनों के भाव बढ़ जाते है, कन्हैयालाल एक अन्य इकरार गोविन्द नारायण के पक्ष में उक्त भूखण्ड को 10,00,000/- रूपये के प्रतिफल पर बेचान हेतु करता है, जिसमें नरोतम एवं विनोद कुमार गवाह के रूप में हस्ताक्षर करते है तथा कन्हैयालाल 1,00,000/- रूपये की अग्रिम राशि प्राप्त करता है। परन्तु ऐसा करते समय वह उसके द्वारा पूर्व में इसी प्लॉट के बाबत मोहनलाल के पक्ष में उसके द्वारा निष्पादित इकरारनामे के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। जब मोहनलाल को इस बात की जानकारी मिलती है तो वह कन्हैयालाल के विरुद्ध विशिष्ठ अनुपालना हेत् एक वाद प्रस्तुत करता है तथा कन्हैयालाल के विरुद्ध एक निषेधाँजा प्राप्त करता है, जिसके द्वारा कन्हैयालाल को गोविन्दनारायण के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाता है। इस स्तर पर गोविन्दनारायण कन्हैयालाल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस अनुसंधान के उपरान्त कन्हैयालाल के विरुद्ध चालान प्रस्तृत करती है जिस पर न्यायालय द्वारा आवश्यक आरोप विरचित किये जाते है तथा कन्हैयालाल द्वारा उन्हे अस्वीकार किये जाने पर विचारण प्रारम्भ किया जाता है। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में गोविन्द नारायण, नरोतम, विनोद कुमार एवं अन्वेषण अधिकारी को परिक्षित किया जाता है । न्यायालयँ द्वारा अभियुक्त को अभियोजन साक्ष्य में उसके विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाता है। न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश पारित किया जाता है। संक्षेप में यह दर्शांते हये कि कन्हैयालाल के विरुद्ध कौनसा आरोप विरचित किया गया तथा अन्तर्तै: उसे सजा हुई या आरोपों से बरी कर दिया गया, कारण सहित निर्णय लिखिए।